उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-81/2017/1584/छप्पन-2017-01/2015
लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2017

शुद्धि-पत्र

कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नई राजकीय पट्टी की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-79/2017/1185/छप्पन-2017-01/2015 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के प्रस्तर-3 की द्वितीय पंक्ति में अवशेष धनराशि रूपए 34.9165/- के स्थान पर रूपए 34.9165 करोड़ (रूपया चौंतीस करोड़ इक्यानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) पढ़ा जाए।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-81/2017/1584(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) उप महालेखाकार/ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
(5) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर / जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(6) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व / भूमि अध्यासि अधिकारी, कानपुर देहात।
(7) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / नियोजन अनुभाग-4 / राजस्व अनुभाग-13
(9) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in